न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1486–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–04–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 612/ अपील/2011–12

1– रामखेलावन
2– बाबूलाल पुत्रगण गंगा प्रसाद
निवासी–ग्राम कोंतर तह0 अमरपाटन
जिला–सतना, म0प्र

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– इन्द्रकली पुत्री बिन्द्रा प्रसाद पत्नी श्री ओमप्रकाश
निवासी–निगड़ा तह0 औरया, जिला–औरया (उ0प्र0)
2– फूलमती साहू पत्नी कोदूलाल साहू
निवसी ग्राम सिंधौल तहसील अमरपाटन
जिला सतना एवं बाणसागर समान पोखरी टोला
रीवा तहसील हूजूर जिला रीवा

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 23/7/ जुलाई 2015 को पारित )

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिघौला स्थित विवादित भूमि आ0न0 285 रकबा 3.80/1.538 हैक्टेयर के नामांतरण हेतु

अनावेदिका द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त ताला अमरपाटन के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10.04.1985 के द्वारा अनावेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन, जिला सतना के यहाँ प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24–01–2012 के द्वारा अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अनावेदिका ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के यहाँ अपील प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 03.04.2013 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.01.2012 को निराधार मानते हुये खारिज किया गया तथा अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा उक्त आराजी को हडपने की साजिश पूर्व में रची थी जिसमें दिनांक 24–10–1977 को पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर तहसीलदार अमर पाटन द्वारा जांच कर इन्द्रकली एवं परमसुख का नाम राजस्व अभिलेख से काटे जाने एवं पटवारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. करने का आदेश दिया था। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में की गई थी जहां पर अनावेदकगण द्वारा उक्त अपील को वापस ले लिया था। इसके पश्चात अनावेदकगण द्वारा पुनः एक साजिश रचकर तहसीलदार के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10–4–1985 को नामांतरण स्वीकार किया गया। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार के अवैध आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी को की गई जो स्वीकार की गई एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। तर्क में यह भी कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 एव धारा 48 के आवेदन पर विधिवत विचार कर आदेश पारित किया था, तब द्वितीय अपीलीय

न्यायालय को पुनः उसी बिन्दु पर आदेश पारित कर पूर्व में निकाले गये निष्कर्षों को निरस्त नहीं करना चाहिए था। यह भी तर्क दिया कि नायब तहसीलदार द्वारा 1000/– की कच्ची टीप पर नामांतरण आदेश पारित किया है जबकि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार 100 से अधिक मूल्य की सम्पत्ति रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। कच्ची बेची टीप के आधार पर नामांतरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा प्रतिकूल कब्जा को आधार मानकर आदेश पारित किया है जबकि राजस्व न्यायालय को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने की अधिकारिता ही नहीं है। अनावेदकगण को आवेदकगण की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत दिनांक 28–5–15 को अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 29–5–15 को अनावेदक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क पेश किये जिन्हें विचार में लिया जा रहा है। अनावेदक की ओर से तर्क में कहा कि अतिरिक्त तहसीलदार अमरपाटन के आदेश दिनांक 10–4–1985 के विरूद्ध अपील 25 वर्ष बाद दिनांक 29–8–11 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम ग्राह्यता पर विचार करना चाहिए था। 25 वर्ष पूर्व के नामांतरण को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में त्रुटि की। अतः अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त किया है। तर्क में यह लेख किया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि को आवेदकगण ने विकय पत्र के माध्यम से रामकली पत्नी राखेलावन के नाम कर दिया है तथा एक अन्य व्यक्ति लक्ष्मीकांत तनय राघवेन्द्र को विकय कर दिया है जिससे अनावेदकगण को परेशान कर अदालती कार्यवाही से क्षति पहुंचाई जा सके। अनावेदक अभिभाषक

द्वारा तर्क दिया कि इस निगरानी में आवेदक ने अपने पिता का नाम गंगाराम बताया तथा मृत रामनाथ उर्फ रमनथवा कोटवार को 'बाबा' बताया गया है। मतदाता सूची एवं निर्वाचन आयोग के पहचानपत्र में पिता का नाम गंगाप्रसाद दहिमा लिखवाया गया। इसके पूर्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में इन्होंने पिता का नाम रामनाथ उर्फ रमनथवा लिखा गया था। अपर आयुक्त तथा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय मे अपील प्रकरण में पिता का नाम रामनथ उर्फ रमनथवा लिखाया है, इस प्रकार मृतक रामनाथ कोटवार के वारिस बनने के लिए फर्जी तरीके से अपनी बल्दियत बदलते रहे। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकों को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका इन्द्रकली को अमरपाटन के पते पर सूचना पत्र भेजा जिसपर स्पष्ट टीप थी कि इन्द्रकली ग्राम कनेपुरा जिला इटावा उत्तरप्रदेश में निवास करती है, अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त पते पर सूचना पत्र नहीं भेजा अपितु ऐसे स्थान पर समाचार पत्र में प्रकाशित किया जो सतना जिलो में पढा जाता है, उत्तरप्रदेश में नहीं। इस प्रकार जानबूझकर सूचना नहीं देकर एकपक्षीय कार्यवाही किया। अनुविभागीय अधिकारी ने बिना तहसील न्यायालय के मूल अभिलेख मंगाये तथा आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत किए बिना ही अवैधानिक आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त के विरूद्ध राजस्व मण्डल के निगरानी प्र0क0 362–एक/2013 में पिता का नाम रामनाथ उर्फ रमनथवा के नाम से दर्ज किया गया था जो आदेश दिनांक 28–2–14 के द्वारा खारिज हो गया है। अब पुनः निगरानी इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया। अतिरिक्त तहसीलदार अमरपाटन द्वारा दिनांक 10–4–85 को अनावेदिका इन्द्रकली के पिता बिन्द्राप्रसाद के नाम

दर्ज भूमि को इन्द्रकली के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। अतिरिक्त तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगणों ने अनुविभागीय अधिकारी को लगभग 25 वर्ष पश्चात अपील की। अनुविभागीय अधिकारी ने 25 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील को बिना किसी ठोस आधार के स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी को अपील आवेदन में अपीलार्थी जो इस प्रकरण में निगराकार है अपने पिता का नाम रामनाथ कोटवार उर्फ रमनथवा लिखा है जबकि इस प्रकरण में पिता का नाम गंगाप्रसाद लिखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में पिता का नाम गंगाप्रसाद लिखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार अमरपाटन के उक्त आदेश दिनांक 10–4–85 की सत्यप्रति भी प्रस्तुत नहीं की जिसके विरूद्ध अपील की गई थी। अतिरिक्त तहसीलदार का मूल प्रकरण अनुपलब्ध बताया गया जबकि अपर आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील के समय प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अपील 25 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की जिसका ठोस समाधानाकरक कारण नहीं बताया। विलम्ब क्षमा के लिए प्रस्तुत आवेदन में दिन प्रति दिन के विलम्ब का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करना आवश्यक है फिर 25 वर्ष पश्चात अपील को बिना किसी ठोस कारण के बिना किसी जांच पड़ताल के सुनवाई के लिए ग्राह्य करना भी उचित नहीं था। अतिरिक्त तहसीलदार अमरपाटन के आदेश दिनांक 10–4–85 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उनके न्यायालय में नामांतरण प्रकरण में राममनोहर तथा रामजियावन पिता रामेश्वर कोटवार द्वारा अनावेदक के रूप में आपत्ति की थी जिसे अतिरिक्त तहसीलदार ने सुनवाई पश्चात निरस्त किया था। आपत्तिकर्ताओं द्वारा कोई अपील नहीं की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते समय इस बात की भी जांच नहीं की कि क्या अपीलार्थी वास्तव में रामनाथ कोटवार के वारिस है तथा हितबद्ध पक्षकार हैं? रिकार्डेड भूमिस्वामी इन्द्रकली को बिना विधिवत सूचना दिए आदेश पारित किया। सूचना पत्र बिना तामीली के वापस प्राप्त होने पर स्पष्ट

लिखा गया था कि अनावेदिका दिए गए पते पर निवास नहीं करती, तथा जहां उसके निवास होने की संभावना बताई गई थी वहां सूचनापत्र भेजा जाना चाहिए था। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24–1–2012 को पूर्ण विवेचना उपरान्त निरस्त किया है जो उचित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03–4–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर